स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 385, दिनांक 29—12—2024

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 5.920 कि0ग्रा0 चरस के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 29—12—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 तस्करों को 5.920 किलो ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता—

1— सिद्धार्थ कुमार पुत्र अनिल कुमार श्रीवास्तव वर्ल्ड नंबर 26 मोहल्ला चंदवारी, थाना मोतीहारी, जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार

2— अमित कुमार पुत्र दिलीप कुमार वार्ड नंबर 36 आईटीआई कॉलोनी, थाना मुफस्सिल, जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार

बरामदगी—

1— अवैध चरस 5.920 कि0ग्रा0 (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 30 लाख रूपये)

2— 03 अदद मोबाइल

3— एक अदद एटीएम कार्ड

4— 5,165 रूपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—

अयोध्या लखनऊ हाईवे निकट ग्राम छत्रसाल थाना— सतरिख, जनपद बाराबंकी दिनांक 29—12—2024 समय करीब 2:30 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय तस्करो के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 29—12—2024 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, कि एक व्यक्ति नेपाल से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (चरस) लेकर गोरखपुर से सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली/कोटा जायेगा। इस सूचना पर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, हे0का0 राघवेन्द्र तिवारी, हे0का0 चेतन सिंह, का0 सुधीर कुमार, मु0आ0 कमाण्डो राम विलास की टीम लखनऊ—अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग थाना क्षेत्र सतरिख, जनपद बाराबंकी स्थित अयोध्या लखनऊ हाईवे निकट ग्राम छत्रसाल पर घेराबंदी कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगणों से अलग—अलग कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम दोनों लोग नेपाल राष्ट्र से अवैध रूप से थोड़ी—थोड़ी मात्रा में चरस लाकर अपने घर पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में इकट्ठा करते हैं। जब चरस 5 या 6 किलो हो जाती है तो इसको हम लोग अपने जनपद चंपारण बिहार से बस द्वारा गोरखपुर ले आते हैं और गोरखपुर से जयपुर की बस से यह अवैध चरस ले जाकर जयपुर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क करता है, वह अपने को मिश्रा बताता है। पूरा नाम पता हम लोगों को नहीं बताता है और हम लोग उसको माल देकर और पैसा नगद

लेकर बस से ही गोरखपुर और गोरखपुर से बस द्वारा अपने घर बिहार चले जाते हैं और वह कहां–कहां भेजता है इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं है।

जयपुर में माल लेने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी में मु0अ0स0 546/2024 धारा–8/20 (B)(C) एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।